North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance

State of North Carolina
बोर्ड ऑफ़ रिव्यु

के सन्दर्भ में

उच्च प्राधिकरण निर्णय संख्या

ध्यान दें:

दावेदार

नियोक्ता

N.C.GEN.STAT. §96-15 (e) के अनुसार, यह अभियोग बोर्ड ऑफ़ रिव्यु (“बोर्ड”) के समक्ष (एक निर्णय) (बर्खास्त करने का आदेश) से ______ **की अपील** पर अपील रेफरी द्वारा अपील डॉकेट क्रमांक के तहत विचार करने के लिए आया है|

N.C. GEN. STAT. §96-15 C, योग्य भागों में, प्रदान करता है:

जब भी अपील रेफरी या सुनवाई अफसर के निर्णय से कोई अपील ली जाती है; अपील करनेवाले पक्ष को कानून द्वारा अनुमत समय के भीतर एक स्पष्ट लिखित बयान प्रस्तुत करना होता है जिसमें अपील के आधार शामिल होते हैं, और यदि समय पर इसतरह का बयान प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बोर्ड ऑफ़ रिव्यु अपील को ख़ारिज कर सकता है|

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0501 के अनुसार, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि पक्षों को अपील रेफरी के (निर्णय) (आदेश) के पृष्ठ (पृष्ठों) की “आधार” आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई थी, सभी इच्छुक पक्षों को ______ को मेल कर दिया गया था|

निरसन अधिकारों की निम्नलिखित जानकारी सामने आई:

यह निर्णय विभाग का अंतिम निर्णय होगा यदि इसे मेल करने के दस (10) दिनों के भीतर, अपील करनेवाले पक्ष स्पष्ट, लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करते, जिसमें अपील के आधार शामिल हों| यदि समय से इसतरह का बयान प्रस्तुत नहीं किया गया तो अपील ख़ारिज हो सकती है|

रिकार्ड्स से यह भी प्रतीत होता है कि (दावेदार) (नियोक्ता) से निम्नलिखित शब्दशः बयान प्राप्त हुआ है:

उपरोक्त बयान स्पष्ट रूप से (दावेदार) (नियोक्ता) की किसी अपील का कोई आधार बताने में विफल हो गया है| नतीजतन, यह अपील के आधार के लिए एक स्पष्ट लिखित बयान दर्ज कराने की N. C. Gen. Stat. §96-15 C और 04 N.C. एडमिन. कोड 24C. 0501 की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता| इस कारण से अपील को ख़ारिज किया जा सकता है| अपने विवेक से बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपील को खारिज कर दिया जाएगा|

( ) की अपील **ख़ारिज** कर दी गई है|

अपील रेफरी का (निर्णय) (ख़ारिज करने का आदेश) **अंतिम** है|

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु सदस्य (Keith A. Holliday) और (Stan Campbell) इस अपील में सहभागी हुए और इस निर्णय से सहमत हैं|

यह (तारीख)

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु

____

Jeanette K. Doran

बोर्ड ऑफ़ रिव्यु की ओर से अध्यक्ष

नोट: यह उच्च प्राधिकरण का निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों में अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक न्यायिक समीक्षा के लिए कोई याचिका उच्च न्यायालय में दायर नहीं की जाएगी जैसा की नीचे दिया गया है|

मेल की तारीख इस फैसले के आखिरी पृष्ठ पर है| <u>हालांकि, बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय को कैसे अपील करें इस विषय पर अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए संलग्न पुस्तिका</u>

<u>देखें|</u> यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजानिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है| आप www.des.nc.gov की रोजगार सुरक्षा विभाग की वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के एक वकील से परामर्श कर सकते हैं।

<u>न्यायिक समीक्षा के लिए अपील अधिकार</u>

इस उच्च प्राधिकरण निर्णय की अपील उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उस काउंटी में दायर की जानी चाहिए जहाँ वह रहता या रहती है, या जहाँ याचिकाकर्ता का प्रमुख व्यवसाय है| यदि पक्ष North Carolina की किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या किसी भी काउंटी में प्रमुख व्यवसाय नहीं है, तो अपील को वेक काउंटी, North Carolina के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर किया जाना चाहिए *या* North Carolina काउंटी के उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की जानी चाहिए जहाँ विवाद हुआ था|

उच्च प्राधिकरण निर्णय मेल करने के तीस (30) दिनों के बाद अंतिम हो जाएगा, यदि तब तक N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायलय में समय पर कोई याचिका दायर ना की जाए|

न्यायिक समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के क्लर्क के साथ दायर की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को रोजगार सुरक्षा विभाग ("डिवीज़न") और रिकॉर्ड के अन्य सभी पक्षों पर कार्यवाही के लिए याचिका दायर करने के दस (10) दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए| याचिका की प्रतियाँ व्यक्तिगत सेवा से या प्रमाणीकृत मेल से वापसी की रसीद के अनुरोध के साथ प्रदान की जानी चाहिए| उच्च न्यायालय की समीक्षा की याचिका पर काम किया जाना चाहिए और विभाग की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए|:

(A. John Hoomani)
General Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903

नोट: यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका प्रदान की जाती है, आप न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही के लिए एक पक्ष नहीं होंगे, जब तक कि आप : (1) उच्च न्यायालय को याचिका प्राप्त होने के दस (10) दिनों के भीतर सूचित नहीं करते कि आप कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाना चाहते हैं, या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, नियम 24 में प्रदान किये गए अनुसार हस्तक्षेप के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें|

North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance

<u>**सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना**</u>

04 N.C. एडमिन. कोड 24A .0105(a)(32) में परिभाषित एक कानूनी प्रतिनिधि (नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय पक्ष कंपनी के व्यक्तियों सहित) एक लाइसेंस प्राप्त वकील या N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त वकील द्वारा निरीक्षित व्यक्ति हो| वकील के निरिक्षण की सूचनाएँ और/या प्रमाणीकरण 04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार लिखित में हों| **न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का पालन करना चाहिए|**

04 N.C. एडमिन. कोड 24C .0504 के अनुसार, जब किसी पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि होता है, तो पक्ष को प्रदान किये जाने वाले सभी दस्तावेज और सूचनाएँ केवल प्रतिनिधि को भेजे जाएँगे| पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को प्रदान की गई कोई भी जानकारी उतनी ही महत्त्वपूर्ण और प्रभावी होगी जितनी की पक्ष को भेजने के बाद।

जून 30, 2013 को या उसके बाद दायर किये गए दावों के लिए, दावेदार किसी भी प्रशासनिक या न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभों के पुनर्भुगतान के अधीन हैं जो बाद में अपील N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) पर वापस आ गई है।

अपील दायर करने की तारीख: निर्णय मेल करने की तारीख: